भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad
म0 न0-3ए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0) | H.No,-3A/2, 1st Floor, Siddhbali Vihar Colony, Kotwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)
दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | ई-मेल/E-mail:piunazibabad@nhai.org | बेबसाइट /Website : www.nhai.org

NHAI/PIU-NBD/NH-119/77009/Forest (Bijnor)/KTW BYP/2023/16117 Dt.05.06.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग,
नजीबाबाद, जनपद– बिजनौर।

विषयः उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद–कोटद्वार से कोटद्वार पौड़ी मार्ग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–119 के कोटद्वार बाईपास (LOT-4/Package-2) के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 0.500 तक 4–लेन निर्माण विषयक।

– **ग्राम– सबलगढ़, तहसील– नजीबाबाद, जनपद–बिजनौर के खसरा सं0– 1215घ, क्षेत्रफल– 17.9560है0 में से वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाली 5.270है0 भूमि के अतिक्रमण मुक्त होने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद का पत्रांक 3511/6–1 दिनांक 09.05.2024
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद का पत्रांक 3510/6–1 दिनांक 09.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 3511/6–1 दिनांक 09.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम– सबलगढ़, तहसील– नजीबाबाद, जनपद–बिजनौर के खसरा सं0– 1215घ, क्षेत्रफल– 17.9560है0 में से वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाली 5.270है0 गैर वन भूमि को अग्रिम कार्यवाही से पहले भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए अवगत कराने हेतु प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम– सबलगढ़, तहसील– नजीबाबाद, जनपद–बिजनौर के खसरा सं0– 1215घ, क्षेत्रफल– 17.9560है0 में से वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाली 5.270है0 गैर वन भूमि को राजस्व विभाग की सहायता से अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित हैं। साथ ही अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक सं0 16056 दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से प्रस्ताव में उल्लेखित त्रृटियों का निराकरण कर आपके कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि संदर्भित प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद!

भवदीय

(आर0 के0 नागरवाल)
परियोजना निदेशक
प0का0ई0–नजीबाबाद

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम– सबलगढ़, तहसील– नजीबाबाद, जनपद– बिजनौर के खसरा सं0 1215घ, क्षेत्रफल 17.9560है0 में से वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाली 5.270है0 भूमि के अतिक्रमण मुक्त छायाचित्र।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

पत्रांक 3511 /6–1दिनॉक नजीबाबाद 9 मई,2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
परियोजना कियान्वयन इकाई–नजीबाबाद।

प्राप्ति
दिनांक 10.05.24 सं० 3505
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी० आई० यू० नजीबाबाद

विषयः– ग्राम सबलगढ़ के खसरा नं0 1215 (घ) क्षे0 17.9560हे0 में से उपलब्ध कराई जाने वाली 5.270 हे0 भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण प्रत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय के पत्रॉक 3390 / 6–1दिनॉक 30.04.2024 एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी,बिजनौर का पत्रॉक 786 / एफ0एस0ओ0दिनॉक 02.05.2024 ।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जोकि वन बन्दोबस्त अधिकारी, बिजनौर को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित था, के द्वारा ग्राम सबलगढ़ के खसरा नं0 1215 (घ) का जिन अभिलेखों द्वारा सर्वे/सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गयी है उन अभिलेखों की छायाप्रति प्रमाणित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र इस कार्यालय से दिनॉक 30.04.2024 को श्री अंकुश कुमार (लैण्ड सर्वेयर) द्वारा दो प्रति मूल में प्राप्त किया गया था। दिनॉक 02.05.2024 को श्री अंकुश कुमार (लैण्ड सर्वेयर) द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी, बिजनौर के कार्यालय पत्रॉक 786 / एफ0एस0ओ0 दिनॉक 02.05.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को अभिलेख उपलब्ध कराये गये। अभिलेखों में मात्र एक मानचित्र प्राप्त कराया गया था जो वन बन्दोबस्त अधिकारी, बिजनौर के द्वारा प्रमाणित नही था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनको मौखिक रूप से बताया गया कि आपके द्वारा दिया गया मानचित्र वन बन्दोबस्त अधिकारी, बिजनौर के द्वारा प्रमाणित नही है। मौखिक रूप से मानचित्र में हस्ताक्षर कराने हेतु कहा गया जो दिनॉक 08.05.2024 को इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया है। जिसमें अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है। मौका निरीक्षण के दौरान उक्त चिन्हित भूमि के आंशिक भाग पर अतिक्रमण पाया गया जिसके विषय में NHAI तथा जिलाधिकारी, बिजनौर को भी अवगत कराया गया था। उपचारात्मक कार्यो (Land reclamation) के बाद भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाई गयी तथा उपरोक्त चिन्हित भूमि हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रॉक 3510 / 6–1दिनॉक 09.05.2024 द्वारा आपको प्रेषित किया गया है। **परन्तु वर्तमान में भूमि अतिकमित है, उक्त कम में आपको इस आशय के साथ प्रेषित कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही से पहले भूमि को अतिकमण मुक्त कराकर अवगत कराए।**

09/5/24

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद।

संख्या /6–1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/5/24

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग,नजीबाबाद